Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अनियमितता के प्रकरण में चार आरोपियों के विरुद्ध चालान पेश।

जयपुर, 21 अगस्त 2026। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), कोटा द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के पैकेज नम्बर RJ-33-W VBN-05 के तहत तहसील पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़ में निर्मित लेवापाड़ा, हीरापाड़ा एवं कोलोनी जापा सम्पर्क सड़कों के निर्माण में अनियमितता, घटिया सामग्री का उपयोग एवं निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व भुगतान किए जाने के प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर चार आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।

सूचना के आधार पर दिनांक 19.07.2013 को उक्त सड़कों का निरीक्षण किया गया था। अनुसंधान में तीनों सड़कों के निर्माण कार्य में कुल 11,78,752/— रूपये का कार्य मौके पर कम पाया गया। प्रकरण संख्या 503/2013 में आरोपीगण को दिनांक 18.05.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।

आज दिनांक 21.08.2026 को **श्री ओमप्रकाश मीणा, उप महानिरीक्षक पुलिस**, एसीबी कोटा रेंज के निर्देशन में **श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक**, एसीबी कोटा द्वारा आरोपीगण सायरगल गीणा, तत्कालीन एक्सईएन, गुण नियंत्रण प्रतापगढ़य एन.एल. परमार, तत्कालीन एक्सईएन, गुण नियंत्रण बांसवाड़ाय गिरधारी लाल, तत्कालीन एक्सईएन, सा.नि.वि. द्वितीय प्रतापगढ़ एवं विनोद केडिया, प्रोपराइटर, मेसर्स जयबाबा कंस्ट्रक्शन कम्पनी, जयपुर के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रतापगढ़ में पेश किया गया।